# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 2020/28

1. मथुरा पुत्र धूल्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जगदीश मीना पुत्र स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/2. ओम प्रकाश मीना पुत्र स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/3. चन्द्रभान मीना पुत्र स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/4. सुरेन्द्र मीना पुत्र स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/5. रामसिंह मीनाा पुत्र स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/6. केदार बाई पुत्री स्व0 मथुरा जाति मीना ।
   1/7. कल्याणी पत्नी स्व0 मथुरा जाति मीना निवासीगण ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. इन्द्रराज पुत्र सूरजमल मीना जाति मीना निवासी ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. गजराज पुत्र सूरजमल मीना जाति मीना निवासी जी–6 वसुन्धरा विहार कोटा।
4. कान्ती बेवा सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. चन्द्रकला पुत्री सूरजमल पत्नी पृथ्वीराज जाति मीना निवासी थर्मल कॉलोनी कोटा ।
6. सीमा कुमारी पुत्री सूरजमल पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. रामप्यारी पुत्री धूल्या पत्नी दयाराम जाति मीना निवासी झाडोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. पाना पुत्री धूल्या पत्नी मोती लाल जाति मीना निवासी छत्रपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

**बनाम**

1. बाबूलाल पुत्र माधो जाति मीना निवासी ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 31.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट से पूर्व ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 754 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थिति थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेट हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 1.02 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 754 में से 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी को आंवटित हुई थी तथा आवंटन के बाद खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की उक्त आराजी का त्रुटिपूर्ण मिलान क्षेत्रफल कायम किया गया जबकि वादी की आराजी का नक्शा व मौका अनुसार मिलान क्षेत्रफल अलग है । बाद सेटलमेंट, सेटलमेंट विभाग के द्वारा वादी के खाते की आराजी त्रुटिपूर्ण मिलान क्षेत्रफल बनाते हुए वादी के खाते की आराजी गत खसरा नम्बर 754 के हाल खसरा नम्बर 476 रकबा 0.81 हैक्अर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 1.02 हैक्टर कायम करके प्रतिवादी कम 01 के खाते दर्ज करके सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा गत खसरा नम्बर 1082/754 का गलत मिलान क्षेत्रफल दर्ज करते हुए हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर काय मकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 475 को प्रतिवादी कम 02 लगायत 9 के खाते दर्ज कर दिया जबकि हाल नक्शा व मौकानुसार हाल खसरा नम्बर 475 गत खसरा नम्बर 754 से जो कि वादी के खाते की आराजी से बना है । वादी का कब्जा काश्त पूर्व सेटलमेंट अनुसार ही सम्पूर्ण 22 बीघा 06 बिस्वा पर चला आ रहा है । सेटलमेंट का उक्त कृत्य त्रुटिपूर्ण है । सेटलमेंट को वादी के खातेदारी की भूमि को प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधिकारों की घोषणा करवाए तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी का नाम विलोपित कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा की गत खसरा नम्बर 754 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 476 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर कुल 3.55 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिबादीगण करें और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2018 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 02 लगायत 09 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट कम 01 मथुरा लाल को प्रोपर नोटिस तामील नहीं करवाये । अपीलान्ट कम 01 मथुरा लाल की दिनांक 01.10.2013 को मृत्यु हो गई थी जिसकी जानकारी वादी को थी फिर भी मृतक मथुरा लाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी मथुरा लाल को मौखिक बंटवारे में प्राप्त हुई है । मथुरा लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर उनके उत्तराधिकारी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.01.2020 को अपीलान्ट रामसिंह को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर रामसिंह ने अन्य अपीलान्टगण को जानकारी दी । जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 21.01.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 754 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थिति थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेट हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 1.02 हैक्टर कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 1082/754 का गलत मिलान क्षेत्रफल दर्ज करते हुए हाल खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर कायम कर प्रतिवादी कम 02 लगायत 9 के खाते दर्ज कर दिया गया जबकि मौका हाल अनुसार खसरा नम्बर 475 गत खसरा नम्बर 754 का ही भाग है । अतः उक्त आराजी को पुनः वादी के खाते में दर्ज किया जावे । परीक्षण न्यायालय में सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ और अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट पर वाद के सम्मन की प्रोपर तामील कराये बिना ही अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 04.03.2013 को एक तरफा कार्यवाही गई तथा उक्त वाद अन्य की तलबी में चलता रहा । दिनांक 02.09.2013 को तलबी का आदेश प्रदान किया गया । उक्त वाद में अपीलान्ट की तामील नहीं हुई फर्द

अकाम पर कोई आदेश नहीं है बल्कि इसके विपरीत दिनांक 26.11.2013 को वास्ते जवाब नाव सरकार के लिए पत्रावली नियत कर दी गई तथा दिनांक 12.03.2018 तक सरकार के जवाब में चली रही तथा दिनांक 14.05.2018 को सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बन्द कर दिया गया तथा उक्त पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी जाकर दिनांक 23.07.2018 को वादी के शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश हुए तथा दिनांक 25.07.2018 को उक्त पत्रावली में एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया । परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट की तालबी हुए बिना पत्रावली में तनकियात कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट कम 01 मथुरा लाल की दिनांक 01.10.2013 को मृत्यु हो गई थी जिसकी जानकारी वादी को थी फिर भी मृतक मथुरा लाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर मृतक मथुरा लाला का स्याही से अंगूठा निशानी है जबकि मथुरा लाल पढ़े–लिखे थे वे हस्ताक्षर करते थे । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी उन्हें आवंटित हुई हो और उन्हें विधिवत कब्जा दिया गया हो । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 निरस्त फरमाया जावे । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018 (1) पेज 619, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरडी 1992 पेज 17, एआईआर 2005 (एससी) पेज 3799, आरएलडब्ल्यू 2005 (1) (राज0) पेज 131 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को प्रोपर तामील करवायी थी । अपीलान्ट कम 01 मृतक मथुरा के सम्मन पर अंगूठा निशानी है जिस पर मथुरा लाल लिखा हुआ है । अपीलान्टगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की है । वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन के बाद दिनांक 05.05.1993 को खातेदारी प्रदान की गई थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट ने अपील के साथ दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 पेश की है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2042–2060 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम लुहावद की खाता संख्या नया 201 में खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1202 रकबा 1.04 हैक्टर भूमि मथुरा, सूरजमल व किशनी, रामप्यारी माना पि0 धूल्या के खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041 से 2060 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1082/754 के हाल खसरा नम्बर 475 रकाब 0.81 हैक्टर कायम किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024

पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1082/754 रकबा 05 बीघा भूमि मथुरा, सूरजमल व पुत्रियॉं रामप्यारी, किशनी, माना पि0 धूल्या के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2026 से 2030 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1082/754 रकबा 05 बीघा भूमि धूलीलाल पुत्र भंवर लाल के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मथुरा लाल दिनांक 01.10.2013 पेश किये हैं ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा न्यायालय हाजा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र कुछ दस्तावेजात पेश किये जिन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पूर्व में ही पारित किया हुआ है ।

13. अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041 से 2060 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण के खातेदारी में है जिसका वादी को खातेदार घोषित किया गया है । मथुरा लाल की मृत्यु भी दिनांक 01.10.2013 को दौरान विचारण वाद हो चुकी थी । यह तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष आना चाहिए था । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण जो कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 475 रकबा 0.81 के खातेदार हैं न्यायहित में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा